

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 1730 2018

आवेदन संख्या 1712 2018

चूंकि Akash Arav Nirman Pvt. Ltd. ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निम्नलिखित संव्यवहारों अवभारों का सविचरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। वास्तु - दिवेश प्रा. कीवास्तु, महेश प्रा. कीवास्तु

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें) प्लेन कुकीवास्तु, दीपक कुकीवास्तु

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2.2.09 20... से ता० 12.12.18 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	मोहरला		रकबा - 565					
	खेसरा		खेसरा - 1322					
	रकबा		रकबा - 1565					
	वाडि रो	13.12.18						
	04							
	मोहरला							
	अगरीशरा							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र को दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हों।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) *पन्डितजी 13/12/18*

(पदनाम) L.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) *Mervy Prasad*

(पदनाम) U.D.C

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

तारीख :- 13/12/18



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

13/12/18
13/12

टिप्पणी :-

(1) ☒ इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवधार लिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) ☒ निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्ठियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमण उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) ☒ किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) ☒ और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्रांक-1730

दिनांक-13/12/18

शाखा प्रबंधक *Akash Narain* पत्र दिनांक *6/12/18* के आलोक में प्रेषित।
Mr. H. B. Bhagatpur

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

13/12/18
13/12

ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION & FEE 41

Office of the District Sub Registrar.....
Application No. 28322 Date of Application 11/12/18
Name of Applicant Anil Kumar Singh
Purpose of Application
Search/for certified copy Deed no. Year 2009-18
Office of Registration Fee paid-Searching
fee Rs. 220 Copying Fee Rs. Total Rs. 220/-

Signature of Record Keeper